'अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन परियोजना'

(मूल्यांकन अध्ययन)

प्राक्कथन

देश में व्याप्त अनेक रूढ़िवादी कुप्रथाओं में "अस्पृश्यता" तथा इससे संबंधित अन्य "स्वजातीय वैवाहिक संबंध" प्रमुख स्थान पर हैं जो कि समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास में विशेष रूप से बाधक रहे हैं । भारत सरकार व प्रदेश सरकारें इनके उन्मूलन के लिए कई वर्षों से प्रयत्नशील हैं तथा इसके लिए समय-समय पर विशिष्ट परियोजनायें लागू की गई हैं । इन परियोजनाओं में "अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन परियोजना" का इसलिए विशेष महत्व है कि यह एक साथ दोनों समस्याओं के हल में विशेष सहायक है । इसके अतिरिक्त अन्य कुरीतियों जैसे की दहेज प्रथा व सामाजिक वे आर्थिक भेदभाव इत्यादि को दूर करने में भी विशेष सहायक है ।

यह बात सर्वमान्य है कि समाज के शैक्षणिक स्तर का सभी कुप्रथाओं को दूर करने के साथ गहरा संबंध है । यह बात आम जीवन में प्रायः देखी जा रही है कि शैक्षणिक स्तर की उन्नति के साथ ही हर प्रकार के रूढ़िवाद व कुप्रथाओं में स्वतः कमी हो रही है तथा इसके साथ ही अन्तर्जातीय विवाहों में भी वृद्धि हो रही है ।

हिमाचल प्रदेश में यह परियोजना वर्ष 1979 से लागू की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे सवर्ण व्यक्ति को जोकि अनुसूचित जाति परिवार में विवाह करता है उसे प्रोत्साहन स्वरूप नकद धनराशि दी जाती है । इस परियोजना का लाभ अधिक से अधिक व्यक्ति उठा रहे हैं ।

परियोजना के लाभ का एक पहलू "आर्थिक उत्थान" तो है ही परन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण पहलू "सामाजिक उत्थान" है जिसमें इस बात का विशलेषण आवश्यक समझा गया कि लाभान्वित व्यक्तियों के प्रति परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों व समाज के अन्य वर्गों का दृष्टिकोण क्या है । उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह आवश्यक समझा गया कि इस परियोजना का एक मूल्यांकन अध्ययन किया जाए तथा उससे प्राप्त परिणामों का परियोजना की आगामी सफलता के लिए विचार किया जाय । इस उद्देश्य से यह कार्य हिमाचल प्रदेश योजना विभाग के मूल्यांकन कक्ष को सौंपा गया ।

सर्वेक्षण से जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं वह अत्यन्त लाभकारी, महत्वपूर्ण, रोचक व उत्साहवर्धक हैं । इस अध्ययन को पूरा करने के लिए कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों का सहयोग प्रशंसनीय रहा है । अध्ययन में लाभान्वित दम्पतियों का सहयोग अत्यन्त सराहनीय रहा है तथा इसके बिना यह अध्ययन सम्भव न था ।

मुझे आशा है कि कल्याण विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग इन परिणामों व सिफारिशों का अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में समुचित उपयोग करके भविष्य में इस परियोजना को अधिक कारगर बनायेंगे ।

दिनांक :
9 फरवरी, 1988.

महाराज कृष्ण काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश में "अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन परियोजना" दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश के दायित्व में आरम्भ की गई तथा उस समय से अब तक समस्त प्रदेश के अनेक दम्पति इसका लाभ उठा चुके हैं । परियोजना के महत्व का व्यापक वर्णन जो अध्याय-1 में दिया गया है उसके अनुसार इसका मूल्यांकन अध्ययन आवश्यक समझा गया व इसको सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है ।

परियोजना के अन्तर्क्षेत्र में केवल वही अंतर्जातीय विवाहित दम्पति आते हैं जिन में पुरुष या स्त्री में कोई एक व्यक्ति स्वर्ण जाति का हो तथा अन्य अनुसूचित जाति का । इस प्रकार के विवाह समाज के वर्तमान ढांचे में किस हद तक सफल हैं तथा परिवार व समाज के विभिन्न वर्गों का इन दम्पतियों के प्रति क्या व्यवहार है यही विश्लेशण का विशेष विषय रहा है । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रख कर इस अध्ययन के विश्लेषण अधिकतर संख्यात्मक न हो कर गुणात्मक रखे गए हैं । विश्लेषणों से यह बात भी प्रकाश में आयी है कि कुछ वर्गों का व्यवहार आरम्भ में सामान्य न था परन्तु बाद में इसमें सुधार हुआ तथा अधिकतर वर्गों ने इनको सामान्य रूप में स्वीकार किया है ।

यद्यपि सर्वेक्षण के विस्तृत परिणाम अध्याय-3 में व संक्षिप्त रूप से अध्याय-4 में दिए गए हैं परन्तु उपयोगिता व महत्व की दृष्टि से कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं :--

(1) कुल विवाहों के 54.1 प्रतिशत विवाह धर्म व समाज की प्रचलित पद्धतियों के अनुसार हुए हैं ।

(2) विवाह में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति आधे से अधिक विवाहों में सामान्य रही है ।

(3) विवाह के उपरांत 70.3 प्रतिशत दम्पतियों को उनके परिवारों ने सामान्य रूप से स्वीकार किया है ।

(4) ऐसे दम्पति जिनके साथ सामाज के विभिन्न वर्गों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, अत्यन्त कम है ।

(5) लगभग आधे दम्पतियों की आर्थिक स्थिति में विवाहोपरांत सुधार हुआ है ।

उपरोक्त निष्कर्षों तथा इसके अतिरिक्त निष्कर्षों से इस प्रकार के विवाहों की सफलता स्पष्ट होती है तथा सभी परिणाम उत्साहवर्धक हैं जो कि परियोजना की सफलता का प्रतीक है । परियोजना के परिणाम, सुझाव तथा इन पर विभागों द्वारा अनवर्ती कार्यवाही का किया जाना आवश्यक है ताकि यह परियोजना और अधिक सफल हो ।

सवक्षण में योजना विभाग को कल्या विभाग द्वारा दिया गया सहयोग सराहनीय है तथा इससे सं ि त सभी अधिका ी व कर्मचारी प्रशंसा क पात्र है ।

निदेशक (योजना),
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक :
9 फरवरी, 1988.

विषय सूची

क्रमांक	मद		पृष्ठ
1.	अध्याय-1 विषय प्रवेश :	..	1
2.	अध्याय-2 सर्वेक्षण की आवश्यकता व रूपरेखा :	..	2–4
2.1	सर्वेक्षण की आवश्यकता	..	2
2.2	सर्वेक्षण की रूपरेखा	..	2–4
3.	अध्याय-3 सर्वेक्ष के परिणाम	..	5–32
3.1	विवाहित पुरुष व स्त्रियों का जाति के अनुसार वितरण	..	5–6
3.2	पारिवारिक आकार	..	6–7
3.3	अन्तर्जातीय विवाह की इच्छा व कारण	..	7–10
3.4	वैवाहिक पद्धति	..	10–13
3.5	विवाह में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति	..	13–15
3.6	विवाह में विभिन्न वर्गों की कम अथवा शून्य उपस्थिति क कारण	..	15–18
3.7	विवाहित दम्पतियों की परिवार द्वारा स्वीकृति	..	18–19
3.8	दम्पतियों को अस्वीकार किए जान क कारण	..	19–22
3.9	विवाहित दम्पति के साथ विभिन्न वर्गों का व्यवहार	..	22–24
3.10	स्वर्ण परिवार का अनुसूचित जाति क सदस्य के प्रति व्यवहार	..	24–26
3.11	अनुसूचित जाति के सदस्य में हीन भावना	..	26–27
3.12	दम्पति की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन	..	27–29
3.13	बच्चों के अनुसूचित जाति में संबंध के प्रति विचार	..	29–30
3.14	अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दम्पतियों के अनुभव, विचार व सुझाव इत्यादि	..	30–32
4.	अध्याय–4 सर्वेक्षण का सारांश व सिफारिशें :	..	33–36
4.1	सारांश	..	33–35
4.2	सिफारिशें	..	35–36
5.	अनलग्नक		
	अनलग्नक 1. पुरस्कृत व्यक्तियों की सूची	..	37
	2. पारिवारिक प्रश्न पत्र	..	37–41

अध्याय-1

विषय प्रवेश

1.1 देश में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों में जातिवाद व छुआछूत सदैव एक प्रमुख स्थान पर रहा है । यह न केवल मानवता के नाम पर एक कलंक है परन्तु देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में भी सदा बाधक रहा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद सरकारी स्तर पर इसके उन्मूलन पर महत्व दिया गया तथा राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर इसके उन्मूलन के लिए आवश्यक नीतियों का निर्धारण किया गया । इन नीतियों के कार्यान्वयन के पश्चात् इस दिशा में यद्यपि पर्याप्त सुधार हुआ है परन्तु सारी स्थिति का विश्लेषण यदि किया जाए तो अब भी इसके पूरातः उन्मूलन करने के लिये काफी प्रयास करने पड़ेंगे ।

1.2 इसके लिए अपनाई गई कई सामाजिक व आर्थिक स्कीमों में एक स्कीम जो कि हिमाचल सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 से लागू की गई वह "अन्तर्जातीय विवाह के लिए पुरस्कार योजना है"। यह स्कीम कुछ अन्य राज्यों में इससे पहले भी लागू की गई थी । स्कीम के अन्तर्गत उन सभी स्वर्ण व्यक्तियों को जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाए, प्रोत्साहिन के रूप में कुछ नकद धनराशि देने का प्रावधान था। इस स्कीम क विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं :—

1. दिनांक 1-4-79 के पश्चात् कोई भी स्वर्ण जाति का पुरुष-स्त्री किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ दोनों परिवारों की स्वेच्छा से विवाह करेगा तो उसे 500 रुपये तक की नकद धनराशि दी जायेगी ।
2. उपरोक्त धनराशि की सीमा अगस्त, 1983 से बढ़ा कर 3,000 रुपये तथा जनवरी, 1984 में पुनः बढ़ा कर 5,000 रुपये की गई । तत्पश्चात् 1986 में यह आदेश जारी किए गए कि पुरुष को यह पुरस्कार राशि 5,000 रुपय तथा स्त्री को 6,000 रुपये दी जायेगी।
3. फरवरी, 1985 से आदेश में यह संशोधन किया गया कि दोनों जाति के परिवारों की स्वेच्छा से जो शर्त मूल आदेशों में रखी गई थी इसको हटा दिया गया ।
4. यह राशि विवाहित जोड़े के उस व्यक्ति को दी जाये जो स्वर्ण जाति से सम्बन्ध रखता हो ।
5. पुरस्कार प्राप्तकर्ता हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
6. इस राशि की स्वीकृति करने की शक्ति संबंधित जिलाधीशों को होगी जोकि बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत करेंगे।
7. संबंधित जिला कल्याण अधिकारी ऐसे पुरस्कृत परिवारों का आवश्यक ब्यौरा रखेंगे और छः मास में एक बार स्वयं जा कर निरीक्षण तथा अपनी रिपोर्ट जिलाधीश को प्रस्तुत करेंगे ।
8. पुरस्कार उसी दशा में दिया जायेगा कि शादी कानूनी रूप से वैध हो।

1.3 हिमाचल प्रदेश में इस स्कीम का कार्यान्वयन कल्याण विभाग को सौंपा गया है जोकि वर्ष 1979 से इस कार्य में कार्यरत है ।

अध्याय-2

सर्वेक्षण की आवश्यकता व रुपरेखा

1. सर्वेक्षण की आवश्यकता :

2.1.1 उपरोक्त स्कीम को लागू किए हुए आठ वर्ष पूरे हो चुके है तथा नवां वर्ष चल रहा है । इस दौरान स्कीम के अन्तर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा इस पर काफी धनराशि का व्यय हुआ है । अतः यह जानना आवश्यक है कि स्कीम कितनी सफल रही है तथा विवाहित दम्पतियों के सामान्य जीवन क साथ आर्थिक व सामाजिक स्तर की क्या दशा है । यह तभी संभव है जबकि किसी प्रकार के मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कुछ विशेष तथ्यों का अनुमान लगाया जाए।

2.1.2 उपरोक्त बातों को देखते हुए, निदेशक कल्याण विभाग ने हिमाचल प्रदेश योजना विभाग के मूल्यांकन कक्ष को जोकि प्रदेश में मूल्यांकन अध्ययन करने का एकमात्र संगठन है इस परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन करने को कहा । इस पर मूल्यांकन कक्ष ने इसकी एक रूपरेखा तैयार की ।

2. सवक्षण की रूपरेखा :

2.2.1 अध्ययन के लिए सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्तियों के बारे में प्रारम्भिक सूचना की आवश्यकता थी । इसके लिए एक प्राफार्मा जिसमें प्रति जिले में अब तक पुरस्कृत व्यक्तियों की पूरी सूची, नाम, पता, विवाह से पूर्व पुरुष व स्त्री दोनों की जाति, विवाह का वर्ष तथा पुरस्कार की धनराशि आदि सूचना एकत्रित करनी थी । यह प्राफार्मा सभी जिला कल्याण अधिकारियों को भेजा गया । प्राफार्मा रिपोर्ट में अनुबन्ध-1 के अनुसार संलग्न है ।

2.2.2 उपरोक्त प्राफार्मा से पुरस्कृत व्यक्तियों का पारिवारिक प्रश्न पत्र भी भरना था। सर्वेक्षण के नतीजों में विलम्ब न हो इस कारण पारिवारिक प्रश्न पत्र भी जिला कल्याण अधिकारियों को ही भेजा गया ताकि वे इसमें पुरस्कृत व्यक्तियों में जो भी व्यक्ति मिल सके उनकी सूचना भर कर भेजें। सर्वेक्षण में कोई निश्चित प्रतिशत का चयन नहीं किया गया उद्देश्य यह था कि जितने भी व्यक्तियों की सूचना मिल सकें उसी के आधार पर परिणाम निकाले जायेंग । इसमें किसी प्रकार के सांख्यिक अनुमान निकालना आवश्यक नहीं था क्योंकि अधिकतर परिणाम गुणात्मक ही निकालने थे इसलिए इस सर्वेक्षण में किसी विशेष सांख्यिक यथाक्रम का लगाना आवश्यक नहीं समझा गया । सर्वेक्षण में पूरे प्रदेश से 74 प्रश्न पत्र प्राप्त हुए जिनक आधार पर परिणाम निकाले गए ।

2.2.3 सर्वेक्षण के पारिवारिक प्रश्नपत्र का प्रारूप रिपोर्ट के अनुबन्ध-2 पर संलग्न है ।

2.2.4 पारिवारिक प्रश्न पत्र में जो सूचना एकत्रित की गई है । वह मुख्यतः पुरस्कृत व्यक्ति की जाति पारिवारिक आकार अन्तर्जातीय परिवार में विवाह की इच्छा, कारण, वैवाहिक पद्धति, विवाह में परिवार के व अन्य व्यक्तियों का सहयोग, असहयोग के कारण, विवाह के बाद का व्यवहार, आर्थिक सुधार तथा पुरस्कृत व्यक्ति द्वारा सुझाव इत्यादि से संबद्ध था ।

2.2.5 क्षेत्रीय कार्य जैसा कि पहले बताया जा चुका है जिला कल्याण अधिकारियों व तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा किया गया व इसका सारणीकरण सांख्यकीय विश्लेषण व प्रतिवेदन लेखन योजना विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा किया गया।

2.2.6 प्रतिवेदन के अगले अध्याय 3 में सर्वेक्षण के परिणाम व अध्याय-4 में परिणामों के सारांश व सुझाव इत्यादि दिए गए हैं ।

2.2.7 पारिवारिक प्रश्न-पत्र में प्राप्त सूचना की जिलेवार स्थिति सारणी संख्या-1 में दी जा रही है ।

सारणी संख्या-1

प्राप्त सूचना के अनुसार पुरस्कृत व्यक्तियों की वर्ष व जिलावर संख्या

जिला	चयनित दम्पति की संख्या	पुरस्कृत व्यक्तियों का वर्ष/जिलावार वितरण							
		1979-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. बिलासपुर	14	—	1	2	6	1	2	1	1
2. चम्बा	13	3	1	—	3	1	3	1	1
3. हमीरपुर	4	—	—	—	—	—	3	1	—
4. कांगड़ा	5	—	—	—	1	—	4	—	—
5. किन्नौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	—	—	—	1	—	1	1	—
7. लाहौल स्पीती	1	—	—	—	—	—	—	—	1
8. मण्डी	5	—	1	1	1	—	1	1	—
9. शिमला	10	1	2	2	2	—	3	—	—
10. सिरमौर	9	2	1	1	—	—	2	3	—
11. सोलन	7	1	1	—	—	1	3	1	—
12. ऊना	3	1	—	—	—	—	—	2	—
योग ..	74	8	7	6	14	3	22	11	3

अध्याय-3

सर्वेक्षण के परिणाम

3.1 पारिवारिक प्रश्न-पत्र में प्राप्त सूचना के आधार पर सूचना का विस्तृत विश्लेषण किया गया । विश्लेषण के आधार पर निकाले गए परिणाम आगामी भागों में प्रस्तुत है ।

1. विवाहित पुरुष व स्त्रियों का जाति के अनुसार वितरण :

3.1.1 प्रदेश के कुल 74 दम्पतियों से प्राप्त सूचना में सर्वप्रथम यह देखा गया कि इनमें से कितने पुरुष अनुसूचित जाति के थे व कितनी स्त्रियां अनुसूचित जाति की थीं। उपरोक्त तथ्यों का जिलेवार विभाजन भी किया गया है । तथा इनके प्रतिशत निकाले गए हैं । सारणी संख्या-2 में यह सूचना दी गई है:—

सारणी-2

विवाहित दम्पतियों में पुरुष व स्त्री वर्ग का जाति विभाजन

जिला	चयनित दम्पति संख्या	दम्पति संख्या व प्रतिशत			
		पति अनु0 जाति व पत्नी स्वर्णना		पत्नी अनु0 जाति व पति स्वर्ण	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1. बिलासपुर	14	4	28.6	10	71.4
2. चम्बा	13	—	0.0	13	100.0
3. हमीरपुर	4	1	25.0	3	75.0
4. कांगड़ा	5	2	40.0	3	60.0
5. किन्नौर	—	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	—	0.0	3	100.0
7. लाहौल-स्पिति	1	1	100.0	—	0.0
8. मण्डी	5	2	40.0	3	60.0
9. शिमला	10	4	40.0	6	60.0
10. सिरमौर	9	2	22.2	7	77.8
11. सोलन	7	1	14.3	6	85.7
12. ऊना	3	1	33.3	2	66.7
योग ..	74	18	24.3	56	75.7

3.1.2 उपरोक्त सारणी से जो रोचक तथ्य प्रकाश में आते हैं उनसे ज्ञात होता है कि लगभग सभी जिलों में ऐसे दम्पतियों की संख्या अधिक है जिनमें पति स्वर्ण व पत्नी अनुसूचित जाति परिवार की है । कुल 74 दम्पतियों में से केवल 18 (24.3 प्रतिशत) में पति अनुसूचित जाति व पत्नी स्वर्ण जाति की है तथा शेष 56 (75.7 प्रतिशत) में पत्नी अनुसूचित जाति व पति स्वर्ण जाति का है।

3.1.3 जिलेवार स्थिति में सिवाए लाहौल-स्पिति के जहां से केवल एक दम्पति की सूचना प्राप्त हुई ऐसी ही स्थिति ह । पति अनुसूचित जाति व पत्नी स्वर्ण के प्रतिशत शून्य (0.0 प्रतिशत) से 40.0 प्रतिशत तक है तथा इसके विपरीत पति स्वर्ण व पत्नी अनुसूचित जाति के प्रतिशत 60.0 प्रतिशत से 100 प्रतिशत है।

3.1.4 इससे ज्ञात होता है कि अन्तर्जातीय विवाह के मामले में पुरुष वर्ग महिला वर्ग से अग्रिम है इसका एक कारण यह भी संभव है कि पुरुष वर्ग स्वेच्छा से विवाह करने में अधिक समर्थ है जब कि स्त्री वर्ग इस मामले में असमर्थ हो सकता है । यद्यपि इस प्रकार की सूचना एकत्रित नहीं की गई है परन्तु सामाजिक स्थिति के आधार पर यह निष्कर्ष संभव प्रतीत होता है।

2. **पारिवारिक आकार** :

3.2.1 पारिवारिक प्रश्न-पत्र के मद 5 के अन्तर्गत परिवार के आकार पर सूचना एकत्रित की गई एकत्रित की गई। सूचना सारणी संख्या 3 में दी जा रही है।

सारणी-3

पारिवारिक आकार

जिला	चयनित दम्पति संख्या	परिवार क कुल सदस्य				योग	औसत व्यक्ति प्रति परिवार
		बालिक पुरुष	बालिग स्त्री	बच्च 3 से 14 वर्ष	शिशु तीन वर्ष तक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बिलासपुर	14	14	14	12	7	47	3
2. चम्बा	13	36	36	21	12	105	8
3. हमीरपुर	4	13	11	3	3	30	8
4. कांगड़ा	5	7	7	3	4	21	4
5. किन्नौर	—	—	—	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	3	3	—	1	7	2
7. लाहौल-स्पिति	1	1	1	—	—	2	2
8. मण्डी	5	5	5	3	3	16	3
9. शिमला	10	11	10	12	6	39	5
10. सिरमौर	9	13	14	10	8	45	4
11. सोलन	7	9	13	5	7	34	5
12. ऊना	3	3	3	2	2	10	3
योग हि0प्र0	74	115	117	71	53	356	5

3.2.2 उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विभिन्न जिलों में परिवार का औसत आकार में नप्रतिकुलता है इके क्रम में दो से आठ व्यक्ति प्रति परिवार तक

का अन्तर है । जब कि कुल्लू तथा लाहौल व स्पिति में प्रति परिवार औसत आकार 2 व्यक्ति आता है, चम्बा व हमीरपुर में यह औसत 8 व्यक्ति, प्रति परिवार है । कुल्लू तथा लाहौल स्पिति में परिवार का छोटा आकार होने के यह भी कारण है कि सूचना बहुत ही छोटे नमूने पर आधारित है तथा सूचना के अन्तर्गत व्यक्ति सर्वेक्षण काल के अन्तिम वर्षों के विवाहित दम्पति है ।

3.2.3 पूरे हिमाचल प्रदेश की औसत स्थिति देखी जाये तो प्रति परिवार का औसत 5 व्यक्ति आता है जो कि सामान्य औसत के अनुकूल है ।

3. अन्तर्जातीय विवाह की इच्छा व कारण :

3.3.1 प्रश्न-पत्र के मद 6 व 7 में जो सूचना एकत्रित की गई वह मुख्यत: अन्तर्जातीय विवाह की इच्छा व कारणों पर की गई । विवाह की इच्छा को दो भागों में विभाजित किया गया अर्थात "क्या विवाह स्वेच्छा से किया" अथवा "किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर" । अन्तर्जातीय विवाह के कारणों को चार भागों में विभाजित किया गया अर्थात् पहला कारण "आपसी प्रेम" दूसरा 'आर्थिक' तीसरा 'सामाजिक सुधार' तथा चौथा 'अन्य कोई भी कारण'।

3.3.2 उपरोक्त मद व उप मदों में प्राप्त की गई सूचना का संकलन तथा इनके औसत सारणी संख्या-4 में दिए जा रहे हैं।

सारणी संख्या–4

अन्तर्जातीय विवाह की इच्छा व कारण

जिला	चयनित दम्पति संख्या	अन्तर्जातीय विवाह की इच्छा			अन्तर्जातीय विवाह के कारण		
		स्वेच्छा से	अन्य व्यक्तियों की इच्छा से	पारस्परिक प्रेम	आर्थिक कारण	सामाजिक सुधार	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बिलासपुर	14	12	2	12	—	2	—
		(85.7)	(14.3)	(85.7)	(0.0)	(14.3)	(0.0)
2. चम्बा	13	12	1	12	1	—	—
		(92.3)	(7.7)	(92.3)	(7.7)	(0.0)	(0.0)
3. हमीरपुर	4	4	—	4	—	—	—
		(100.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
4. कांगड़ा	5	2	3	2	—	3	—
		(40.0)	(60.0)	(40.0)	(0.0)	(60.0)	(0.0)
5. किन्नौर	—	—	—	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	3	—	3	—	—	—
		(100.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
7. लाहौल स्पीती	1	1	—	1	—	—	—
		(100.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
8. मण्डी	5	5	—	4	—	1	—
		(100.0)	(0.0)	(80.0)	(0.0)	(20.0)	(0.0)
9. शिमला	10	10	—	7	1	2	—
		(100.0)	(0.0)	(70.0)	(10.0)	(20.0)	(0.0)
10. सिरमौर	9	7	2	1	—	6	—

			(77.8)	(22.02)	(11.1)	(0.0)	(66.7)	(0.0)
11.	सोलन	7	5	2	4	—	3	—
			(71.4)	(28.6)	(57.1)	(0.0)	(42.9)	(0.0)
12.	ऊना	3	1	2	1	—	2	—
			(33.3)	(66.7)	(33 3)	(0.0)	(66.7)	(0.0)
	योग हि0प्र0	..74	60	12	51	2	19	—
	कुल का प्रतिशत	..	81.1	16.2	68.9	2.7	25.7	0.0

नोट.—1. जिला सिरमौर के दो व्यक्तियों ने कोई कारण नहीं दिए।
2. कोष्टक में दी गई संख्यायें कुल का प्रतिशत है।

3.3.3 उपरोक्त सारणी को देखने से पता चलता है कि कुल चयनित व्यक्तियों का एक बड़ा भाग ऐसे दम्पतियों का है जिन्होंने यह विवाह स्वयं की इच्छा से किया है तथा विवाह का मुख्य कारण पारस्परिक प्रेम है। 74 में से 60 (81.1 प्रतिशत) ने स्वेच्छा से विवाह किया है तथा 12 (16.2 प्रतिशत) ने अन्य व्यक्तियों की इच्छानुसार किया है। इसी प्रकार अन्तर्जातीय विवाह के कारणों में 74 में से 51 दम्पति (68.9 प्रतिशत) ऐसे है जिनके विवाह का कारण पारस्परिक प्रेम है, 2 दम्पतियों (2.7 प्रतिशत) ने आर्थिक कारणों से तथा 19 (25.7 प्रतिशत) ने सामाजिक सुधार के कारण अन्तर्जातीय विवाह किए। अन्य कारणों में सूचना शून्य (0.0 प्रतिशत) प्राप्त हुई तथा 2 व्यक्तियों (2.7 प्रतिशत) ने कोई कारण नहीं दिए।

3.3.4 जिलेवार स्थिति में काफी असमानता व अन्तर पाया जाता है परन्तु अधिकतर स्थिति यही पाई गई कि दम्पतियों ने स्वयं की इच्छा से व पारस्परिक प्रेम के कारण अन्तर्जातीय विवाह किए। केवल सिरमौर, ऊना व कांगड़ा में ऐसे व्यक्ति अधिक पाए गए जिन्होंने सामाजिक सुधार की दृष्टि से यह विवाह किए।

4. वैवाहिक पद्धति :

3.4.1 सर्वेक्षण में यह जानना भी आवश्यक समझा गया कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने यह विवाह अपनी धार्मिक व सामाजिक पद्धति के अनुसार किए हैं तथा जिन्होंने अपनी परम्परा के अनुसार नहीं किये हैं उन्होंने किस प्रकार किए हैं। इस सूचना को तीन भागों में विभक्त किया गया अर्थात् कचहरी में, मन्दिर में तथा किसी भी अन्य तरीकों से।

3.4.2 प्राप्त सूचना सारणी संख्या 5 में संकलित की गई है।

सारणी संख्या–5

वैवाहिक पद्धति अनुसार दम्पतियों का विभाजन

जिला	चयनित दम्पति संख्या	परिवार संख्या व (प्रतिशत)		जो विवाह परम्परानुसार नहीं हुए व किस प्रकार हुए संख्या व (प्रतिशत) कालम 4 पर		
		विवाह परम्परानुसार हुआ	विवाह परम्परानुसार नहीं हुआ	कचहरी में	मन्दिर में	अन्य प्रकार से
1	2	3	4	5	6	7
1. बिलासपुर	14	7 (50.0)	7 (50.0)	7 (100.0)	— (0.0)	— (0.0)
2. चम्बा	13	8 (61.5)	5 (38.5)	13 (60.0)	2 (40.0)	— (0.0)
3. हमीरपुर	4	2 (50.0)	2 (50.0)	2 (100.0)	— (0.0)	— (0.0)
4. कांगड़ा	5	4 (80.0)	1 (20.0)	1 (100.0)	— (0.0)	— (0.0)
5. किन्नौर	—	—	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	— (0.0)	3 (100.0)	1 (33.3)	— (0.0)	2 (66.7)
7. लाहौल स्पीती	1	1 (100.0)	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)
8. मण्डी	5	2 (40.0)	3 (60.0)	2 (66.7)	— (0.0)	1 (33.3)

1	2	3	4	5	6	7
9. शिमला	10	2 (20.0)	8 (80.0)	5 (62.5)	— (0.0)	3 (37.5)
10. सिरमौर	9	5 (55.6)	4 (44.4)	1 (25.0)	3 (75.0)	— (0.0)
11. सोलन	7	6 (85.7)	1 (14.3)	— (0.0)	— (0.0)	1 (100.0)
12. ऊना	3	3 (100.0)	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)
योग हि0 प्र0	74	40	34	22	5	7
कुल का प्रतिशत ..	100.0	54.1	45.9	29.7	6.8	9.4
कालम (4) पर प्रतिशत ..	—	—	100.0	64.7	14.7	20.6

नोट.—1. कोष्टक में संख्या प्रतिशत में हैं ।

2. कालम 3 व 4 के प्रतिशत कालम 2 पर आधारित है तथा शेष कालम के प्रतिशत कालम 4 पर आधारित हैं ।

3. कालम--7 में "अन्य प्रकार से" के अन्तर्गत :—

1. कुल्लू व मण्डी में प्रकार नही दर्शाया गया ।
2. सिरमौर के तीन विवाहों में एक पंचायत में तथा 2 में सूचना प्राप्त नहीं।
3. सोलन के एक विवाह में विवाह पुलिस स्टेशन में बताया गया।

3.4.3 उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से जो तथ्य प्रकाश में आते हैं वे पर्याप्त रोचक तथा उत्साहवर्धक है क्योंकि ऐसे विवाहों का परम्परानुसार होना इस बात को साबित करता है कि परिवार व समाज द्वारा इसका विरोध नहीं हुआ। उपरोक्त सूचना से यह स्पष्ट है कि आधे से अधिक विवाह समाज व धर्म की परम्परा के अनुसार सम्पन्न हुए थ। कुल 74 विवाहित दम्पतियों में से 40 (54.1 प्रतिशत) के विवाह परम्परानुसार होना एक अच्छी स्थिति का प्रतीक है । शेष 34 (45.9 प्रतिशत) विवाह परम्परानुसार नहीं हुए ।

3.4.4 जिलेवार स्थिति का यदि विश्लेषण किया जाए तो प्राप्त तथ्यों में काफी असमानता व अन्तर है । इसमें बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीती, सिरमौर, सोलन तथा ऊना जिलों की स्थिति ऐसी है जहां आधे या इससे अधिक विवाह परम्परानुसार हुए हैं । शेष जिलों की स्थिति इसके विपरीत है ।

3.4.5 जो 34 विवाह (45.9 प्रतिशत) परम्परानुसार नहीं हुए हैं इनमें 22 (29.9 प्रतिशत) कचहरी में, 5 (6.8 प्रतिशत) मन्दिर में व शेष 7 (9.4 प्रतिशत) अन्य प्रकारों से हुए हैं । अन्य प्रकार से हुए विवाह के तरीकों पर सूचना पूरी नहीं मिली । यह सूचना 7 में से 5 व्यक्तियों ने नहीं दी । शेष दो में से एक ने विवाह पंचायत में व दूसरे ने पुलिस स्टेशन में बताया ।

5. विवाह में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति :

3.5.1 विवाह में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति पुनः इस बात का द्योतक है कि समाज में इस प्रकार के विवाह की कितनी मान्यता है, अतः इस प्रकार की सूचना एकत्रित करना भी अत्यन्त आवश्यक समझा गया । इस सूचना के लिए सहयोगी वर्गों को निम्नलिखित पांच भागों में वर्गीकरण किया गया :

1. माता, पिता व अभिभावक
2. भाई बहिन
3. अन्य रिश्तेदार
4. मित्र व पडौसी
5. अन्य ग्रामवासी

3.5.2 उपरोक्त सभी वर्गों की उपस्थिति को पुनः 3 उप-भागों में वर्गीकृत किया गया जो इस प्रकार थे :—

1. सामान्य
2. सामान्य से कम
3. शून्य

3.5.3 सभी 74 दम्पतियों की सूचना का संकलन सारणी संख्या 6 में दिया गया है ।

सारणी संख्या 6

विवाह में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति

जिला	चयनित दम्पति संख्या	माता/पिता व भाई/बहिन अभिभावक						अन्य रिश्तेदार				मित्र व पड़ौसी			अन्य ग्रामवासी		
		सामान्य	सामान्य से कम	शून्य	सामान्य	सामान्य से कम	शून्य	सामान्य	सामान्य से कम	शून्य	शून्य	सामान्य	सामान्य से कम	शून्य	सामान्य	सामान्य से कम	शून्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12		13	14	15	16	17
1. बिलासपुर	14	6	—	8	8	—	6	6	1	7	8	3	3	7	—	7	
2. चम्बा	13	8	—	5	8	—	5	8	—	5	9	—	4	8	—	5	
3. हमीरपुर	4	3	—	1	3	—	1	3	—	1	3	—	1	1	1	2	
4. कांगड़ा	5	3	—	2	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	
5. किन्नौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. कुल्लू	3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	
7. लाहौल स्पीती	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	
8. मण्डी	5	—	1	4	—	1	4	—	1	4	—	2	3	—	2	3	
9. शिमला	10	3	—	7	2	—	8	4	1	5	2	—	8	2	—	8	
10. सिरमौर	9	6	—	3	7	—	2	8	—	1	8	—	1	8	—	1	
11. सोलन	7	4	—	3	3	2	2	3	1	3	5	1	1	3	1	3	
12. ऊना	3	3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—	
योग हि0 प्र0	74	37	1	36	38	4	32	39	5	30	42	7	25	36	5	33	
कुल का प्रतिशत ..	100.0	50.0	1.4	48.6	51.4	5.4	43.2	52.7	5.6	40.5	56.8	9.5	33.8	48.6	6.8	44.6	

3.5.4 उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से जो परिणाम सामने आते हैं उनसे ज्ञात होता है कि विवाह में सभी वर्गों की सामान्य उपस्थिति के प्रकरण 48.6 प्रतिशत से 56.8 प्रतिशत तक आते हैं । वर्गानुसार स्थिति को देखा जाए तो सामान्य उपस्थिति में माता-पिता व अभिभावकों की उपस्थिति 50.0 प्रतिशत, भाई बहिनों की 51.4 प्रतिशत, रिश्तेदारों की 52.7 प्रतिशत, मित्र व पड़ोसियों की 56.8 प्रतिशत तथा अन्य ग्रामवासियों की 48.6 प्रतिशत रही । यदि समूची स्थिति को देखा जाए तो सामान्य उपस्थिति के प्रकरण आधे से अधिक आते हैं । कुछ सूचनाएं ऐसी भी थी जहां माता-पिता, अभिभावक भाई व बहिन वर्गों की उपस्थिति शून्य इस कारण से रही कि इन वर्गों के सदस्य परिवार में थे ही नहीं इस प्रकार सारी स्थिति में सामान्य उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक होना यह दर्शाता है कि इस प्रकार के विवाह को सभी वर्गों ने आम तौर पर स्वीकार किया है।

(शून्य) उपस्थित के प्रकरणों का प्रतिशत पांचों वर्गों में 33.8 प्रतिशत से 48.6 प्रतिशत तक रहा तथा 'सामान्य से कम' उपस्थिति के प्रकरण नगण्य थे जिनके प्रतिशत 1.4 से 9.5 तक आते हैं।

जिलेवार स्थिति में अधिक विभिन्नता नहीं है तथा समूची स्थिति से लगभग साम्य है। सारी स्थिति को देखते हुए परिणाम संतोषजनक व उत्साववर्धक प्रतीत होता है।

(6) **विवाह में विभिन्न वर्गों की कम अथवा शून्य उपस्थिति के कारण :—**

3.6.1 पूर्व पैराग्राफों की स्थिति से पता चलता है कि विवाहों में सामान्यतः विभिन्न वर्गों की उपस्थिति आधे से अधिक विवाहों में सामान्य रही परन्तु जिन आधे से कम विवाहों में यह उपस्थिति सामान्य से कम या शून्य थी उसमें इसके क्या-क्या कारण थे । सभी कारणों को पांच मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया यह कारण निम्नलिखित थे :—

1. अन्तर्जातीय विवाह के प्रति विरोध ।
2. अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रति घृणा।
3. सामाजिक विरोध ।
4. लोक लाज का भय।
5. अन्य।

विभिन्न विवाहों में अनुपस्थिति अथवा सामान्य से कम उपस्थिति के क्या-क्या कारण थे उनकी संख्या का कारणवार सारणीकरण सारणी संख्या 7 में किया गया है । कई दम्पतियों ने अनुपस्थिति के एक से अधिक कारण भी दिए है। इन सभी कारणों को वर्गीकृत किया गया है ।

सारणी संख्या–7

विवाह में अनुपस्थिति/कम उपस्थिति के कारण

जिला	चयनित दम्पति संख्या	अनुपस्थिति/कम उपस्थिति के कारण					
		अन्तर्जातीय विवाह का विरोध	अनु0 जाति के प्रति घृणा	सामाजिक विरोध	लोग लाज का भय	अन्य	कुल कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बिलासपुर	14	1 (12.5)	— (0.0)	1 (12.5)	3 (37.5)	3 (37.5)	8 (100.0)
2. चम्बा	13	— (0.0)	2 (40.0)	— (0.0)	— (0.0)	3 (60.0)	5 (100.0)
3. हमीरपुर	4	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
4. कांगड़ा	5	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	— (0.0)	— (0.0)	4 (100.0)
5. किन्नौर	—	—	—	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	— (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.4)	— (0.0)	3 (100.0)
7. लाहौल स्पिती	1	—	—	—	—	5	—
8. मण्डी	5	1 (16.7)	— (0.0)	3 (50.0)	2 (33.3)	— (0.0)	6 (100.0)
9. शिमला	10	2 (12.5)	5 (31.2)	4 (25.0)	3 (18.8)	2 (12.5)	16 (100.0)

10. सिरमौर	9	1 (20.0)	2 (40.0)	— (0.0)	2 (40.0)	— (0.0)	5 (100.0)
11. सोलन	7	— (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	4 (100.0)
12. ऊना	3	—	—	—	—	—	—
योग हि0 प्र0	74	6	12	12	12	10	52
कुल का प्रतिशत		(11.5)	(23.1)	(23.1)	(23.1)	(19.2)	(100.0)

नोट.—एक दम्पति ने एक से अधिक कारण भी दिए है।
कोष्टक में दिए गए अंक कुल का प्रतिशत है।

3.6.2 उपरोक्त सारणी के विश्लेण से ज्ञात होता है कि 'अनुपस्थिति' अथवा 'सामान्य से कम' उपस्थिति के तीन मुख्य कारण मैं अर्थात (1) अनुसूचित जाति के प्रति घृणा (2) सामाजिक विरोध तथा (3) लोक लाज का भय। कुल 52 कारणों में प्रत्यक वर्ग में 12 कारण (23.1 प्रतिशत) थे जबकि अन्तर्जातीय विवाह के प्रति स्वयं (वर्ग) का विरोध में सबसे कम 6 कारण (11.5 प्रतिशत) आए तथा अन्य कारणों में 51 में से 10 (19.2 प्रतिशत) थे।

3.6.3 इससे विशेष तथ्य जो प्रकाश में आता है वह यह है कि व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष का अन्तर्जातीय विवाह के प्रति विशेष विरोध नहीं है तथा अन्य कारणों जैसे अनुसूचित जाति के प्रति घृणा सामाजिक विरोध व लोक लाज के भय के कारण लोगों ने इन विवाहों में भाग नहीं लिया।

3.6.4 अन्य कारणों में कुछ व्यक्तियों ने कारण स्पष्ट किए परन्तु अधिकतर ने अनुपस्थिति का यह कारण बताया कि उन्होंने विवाह स्वयं किया तथा विवाह में किसी भी वर्ग को निमंत्रित नहीं किया।

3.6.5 जिलेवार स्थिति में प्राय: असमानता पाई गई।

7. **विवाहित दम्पतियों की परिवार द्वारा स्वीकृति :**

3.7.1 उपरोक्त सूचना के पश्चात् यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि विवाह के उपरोक्त इन दम्पतियों को उनके परिवार के सदस्यों ने सामान्य रूप से स्वीकार किया या नहीं। यह इसलिए भी आवश्यक है कि प्राय: ऐसे मामलों में पहले परिवार के सदस्यों का विरोध होता है परन्तु बाद में उन्हें सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रश्न में केवल यही पूछा गया कि क्या परिवार के सदस्यों ने विवाहोपरांत आपको सामान्य रूप से स्वीकार किया है तथा इसका उतर हां व नहीं में लिया गया। प्राप्त सूचना की सारणी संख्या 8 में संकलित किया गया है।

सारणी संख्या-8

विवाहित दम्पतियों की उनके परिवार द्वारा स्वीकृति

जिला	चयनित दम्पति संख्या	परिवार द्वारा स्वीकृति		स्वीकृत दम्पति संख्या
		हां	नहीं	
1	2	3	4	5
1. बिलासपुर	14	11	3	78.6
2. चम्बा	13	11	2	84.6
3. हमीरपुर	4	4	—	100.0
4. कांगड़ा	5	5	—	100.0
5. किन्नौर	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	—	3	0.0
7. लाहौल स्पिती	1	1	—	100.0
8. मण्डी	5	3	2	60.0
9. शिमला	10	2	8	20.0

1	2	3	4	5
10. सिरमौर	9	7	2	77.8
11. सोलन	7	5	2	71.4
12. ऊना	3	3	—	100.0
योग हि0प्र0	74	52	22	70.3

3.7.2 उपरोक्त तालिका से जो तथ्य प्रकाश में आते हैं वे पर्याप्त रोचक व उत्साहवर्धक है क्योंकि कुल 74 दम्पतियों में से 52 (70.3 प्रतिशत) ऐसे थे जिहें उनके परिवार के सदस्यों ने सामान्य रूप से स्वीकार किया । इस तालिका का उपस्थिति की तालिका (संख्या 7) के साथ मुकाबिला किया जाए तो ज्ञात होता है कि जब कि विवाह में माता-पिता, अभिभावक, भाई व बहिनों की उपस्थिति लगभग आधे विवाहों में सामान्य से कम/शून्य रही फिर भी ऐसे दम्पति जिन्हें बाद में उनके परिवारों ने स्वीकार नहीं किया केवल 22 प्रतिशत ही रही जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्तर्जातीय विवाहों में उनके परिवारों का विरोध होते हुए भी बाद में उनके परिवारों ने उन्हें अधिकतर स्वीकार किया है ।

8. **दम्पतियों को अस्वीकार किये जाने के कारण** :

3.8.1 उपरोक्त सूचना के पश्चात् यह भी आवश्यक है कि परिवार द्वारा दम्पतियों को स्वीकार न करने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं । इन कारणों को भी उन्हीं पांच भागों में वर्गीकृत किया गया जो कारण विवाहों में अनुपस्थिति के पैरा 3.6.1 में थे ।

3.8.2 अस्वीकृत दम्पतियों का उपरोक्त कारणों में वर्गीकरण सारणी संख्या 9 में दिया गया है ।

सारणी संख्या 9

परिवार द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण

जिला	चयनित दम्पति संख्या	दम्पति संख्या जिन्हें स्वीकार नहीं किया	अस्वीकृत दम्पति	अस्वीकृति के कारण					
				स्वयं का विरोध	अनु० जाति के प्रति घृणा	सामाजिक विरोध	लोक लाज का भय	अन्य	कुल कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. बिलासपुर	14	3	21.4	—	2	—	1	—	3
				(0.0)	(66.7)	(0.0)	(33.3)	(0.0)	(100.0)
2. चम्बा	13	2	15.4	—	1	—	1	—	2
				(0.0)	(50.0)	(0.0)	(50.0)	(0.0)	(100.0)
3. हमीरपुर	4	—	—	—	—	—	—	—	—
				(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
4. कांगड़ा	5	—	—	—	—	—	—	—	—
				(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
5. किन्नौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	3	100.0	—	—	—	1	2	—
				(0.0)	(0.0)	(0.0)	(33.3)	(66.7)	(100.0)
7. लाहौल स्पिती	1	—	—	—	—	—	—	—	—
				(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
8. मण्डी	5	2	40.0	1	—	—	1	—	2
				(50.0)	(0.0)	(0.0)	(50.0)	(0.0)	(100.0)

9.	शिमला	10	8	80.0	4 (19.0)	7 (33.4)	5 (23.8)	4 (19.0)	1 (4.8)	21 (100.0)
10.	सिरमौर	9	2	22.2	1 (52.0)	2 (30.0)	— (0.0)	1 (25.0)	— (0.0)	4 (100.0)
11.	सोलन	7	2	28.6	— (0.0)	2 (100.0)	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)	2 (100.0)
12.	ऊना	3	—	0.0	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)	— (0.0)
	योग हि0प्र0	74	22	29.7	6	14	5	9	3	37
	कुल का प्रतिशत	—	29.7	—	—	—	—	—	—	—
	कुल कारणों का प्रतिशत	—	—	—	16.2	37.9	13.5	24.3	8.1	(100.0)

नोट.—कोष्टक में दी गई संख्या प्रतिशत है।

3.8.3 उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 74 दम्पतियों में से केवल 22 (29.7 प्रतिशत) एसे है जिन्हें उनके परिवारों ने स्वीकार नहीं किया । इन दम्पतियों ने उन्हें स्वीकार न किए जाने के कुल 37 कारण दिए जिनका पांच मुख्य वर्गों में वर्गीकरण किया गया । इन 37 कारणों में सबसे अधिक 14 कारण (37.9 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के प्रति घृणा बताया गया । इसके पश्चात् दूसरा मुख्य कारण लोक लाज का भय था जिसमें 37 में से 9 कारण (24.3 प्रतिशत) वर्गीकृत हुए। स्वयं का विरोध में 6 (16.2 प्रतिशत) सामाजिक विरोध में 5(13.9 प्रतिशत) तथा अन्य में 3 (8.1 प्रतिशत) वर्गीकृत हुए । अन्य कारणों में कारणों का स्पष्टीकरण किसी भी दम्पति से प्राप्त नहीं हुआ ।

3.8.4 जिलेवार स्थिति में काफी असमानता है । जिला हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल-स्पिती व ऊना में एक भी ऐसा दम्पति नहीं पाया गया जिसे उनके परिवार ने अस्वीकार किया हो जब कि जिला कुल्लू में कुल 3 में से 3 (100.0 प्रतिशत) दम्पति तथा जिला शिमला में 10 में से 8 (80.0 प्रतिशत) अस्वीकृत की श्रेणी में आते हैं ।

9. विवाहित दम्पति के साथ विभिन्न वर्गों का व्यवहार :

3.9.1 उपरोक्त सभी जांच पड़ताल के पश्चात् यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों का विवाहित दम्पति के साथ व्यवहार कैसा है । इस सूचना को चार मुख्य भागों में विभाजित किया जो कि निम्नलिखित है :—

1. भाई/बहिन
2. अन्य रिश्तेदार
3. मित्र व पड़ौसी
4. अन्य ग्रामवासी

3.9.2 उपरोक्त वर्गीकरण में प्रत्येक को तीन उपभागों में बांटा गया है। यह विभाजन व्यवहार के अनुसार किया गया है अर्थात (1) सामान्य (2) सामान्य से निम्न तथा (3) दुर्व्यवहार। सभी 74 दम्पतियों की सूचना प्रत्येक भाग व उपभाग में एकत्रित की गई तथा उपभागों में दम्पति संख्या ली गई ।

3.9.3 इस वर्गीकरण में मुख्य भाग माता-पिता व अभिभाव को लिया गया है । यह ऐसा मानकर किया गया कि जो 22 दम्पति स्वीकार नहीं किए गए उनको छोड़कर सभी में इस वर्ग का व्यवहार सामान्य समझा जा सकता है।

संकलित सूचना सारणी संख्या 10 में दी जा रही है ।

सारणी संख्या-10

विवाहित दम्पति के प्रति विभिन्न वर्गों का व्यवहार

जिला	चयनित दम्पति संख्या	भाई/बहिन			अन्य रिश्तेदार			मित्र व पड़ौसी			अन्य ग्रामवासी		
		सामान्य	सामान्य से कम	दुर्व्यवहार	सामान्य	सामान्य से कम	दुर्व्यवहार	सामान्य	सामान्य से कम	दुर्व्यवहार	सामान्य	सामान्य से कम	दुर्व्यवहार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. बिलासपुर	14	12	1	1	12	1	1	12	1	1	12	1	1
2. चम्बा	13	11	1	1	10	1	2	12	1	—	11	1	1
3. हमीरपुर	4	4	—	—	4	—	—	4	—	—	4	—	—
4. कांगड़ा	5	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—
5. किन्नौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	—	3	—	—	3	—	1	2	—	1	2	—
7. लाहौल स्पिती	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
8. मण्डी	5	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1
9. शिमला	10	4	1	5	4	—	6	5	—	5	4	1	5
10. सिरमौर	9	8	—	1	7	2	—	9	—	—	8	1	—
11. सोलन	7	5	—	2	5	—	2	6	—	1	6	—	1
12. ऊना	3	3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—
योग हि0प्र0	74	54	9	11	52	10	12	59	7	8	56	9	9
कुल के प्रतिशत	100.0	73.0	12.2	14.8	70.3	13.5	16.2	79.7	9.5	10.8	75.6	12.2	12.2

3.9.4 उपरोक्त सारणी से जो रोचक तथ्य प्रकाश में आते हैं वह यह है कि अधिकतर दम्पतियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों का व्यवहार सामान्य है । सामान्य व्यवहार के प्रकरणों में विभिन्न वर्गों का प्रतिशत 52 प्रतिशत से 59 प्रतिशत के बीच है । सामान्य से न्यून व्यवहार के प्रकरणों के प्रतिशत 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक है तथा दुर्व्यवहार के कारण 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक है । सामान्य व्यवहार के प्रतिशत सबसे अधिक मित्र व पड़ौसी वर्ग में है तथा सबसे कम प्रतिशत अन्य रिश्तेदारों वर्ग में है ।

3.9.5 सारी स्थिति से फिर यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यवहार के मामले में सभी वर्गों के व्यवहार को संतोषजनक कहा जा सकता है क्योंकि सामान्य व्यवहार में सभी वर्गों का प्रतिशत 52 प्रतिशत से अधिक है । जिलेवार स्थिति भी केवल मण्डी व कुल्लू जिलों को छोड़कर सभी जगह अच्छी है ।

10. स्वर्ण परिवार का अनुसूचित जाति के सदस्य के प्रति व्यवहार :

3.10.1 उपरोक्त स्थिति से बहुत हद तक संबंधित एक स्थिति ऐसी है जहां स्वर्ण परिवार के सदस्य दम्पति क हरिजन जीवन साथी क साथ दुर्व्यवहार करते हो। ऐसी स्थिति प्रायः हरिजन स्त्री जिसका विवाह सवर्ण परिवार में हुआ वहां देखी जातीं है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के उपरांत उनसे यह भी पूछा गया कि वे लोग ऐसी स्थिति का मुकाबला किस प्रकार करते हैं । इस बारे में प्राप्त सूचना को चार भागों में वर्गीकृत किया गया । प्राप्त सूचना को सारणी संख्या 11 में दर्शाया गया है ।

सारणी संख्या-11

दम्पति संख्या जिनमें अनुसूचित जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है

जिला	चयनित दम्पति संख्या	दुर्व्यवहार के प्रकरणों की संख्या	कालम का प्रतिशत	वे दुर्व्यवहार का मुकाबिला कैसे करते हैं				
				गांव छोड़ दिया	अलग रहते है	ससुराल में रहते हैं	बर्दाश्त करते हैं	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. बिलासपुर	14	1	7.1	1	—	—	—	
2. चम्बा	13	2	15.4	—	—	1	1	
3. हमीरपुर	4	—	0.0	—	—	—	—	
4. कांगड़ा	5	—	0.0	—	—	—	—	
5. किन्नौर	—	—	—	—	—	—	—	
6. कुल्लू	3	—	0.0	—	—	—	—	
7. लाहौल स्पिती	1	—	0.0	—	—	—	—	
8. मण्डी	5	2	40.0	—	1	—	—	
9. शिमला	10	—	0.0	—	—	—	—	
10. सिरमौर	9	2	22.2	—	1	1	—	
11. सोलन	7	1	14.3	—	1	—	—	
12. ऊना	3	—	0.0	—	—	—	—	
योग हि0 प्र0	74	8	10.8	1	3	2	1	

3.10.2 उपरोक्त सारणी से जो तथ्य प्रकाश में आते हैं उनसे ज्ञात होता है कि 74 दम्पतियों में केवल 8 (10.8 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति के जीवन साथी को परिवार के सदस्यों के दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। इस दुर्व्यवहार का मुकाबला वे किस प्रकार करते हैं इसका उत्तर सात व्यक्तियों से प्राप्त हुआ जिनमें 3 (37.5 प्रतिशत) ने परिवार से अलग रहकर 2 (25.0 प्रतिशत) ने घर छोड़कर ससुराल में रहकर तथा 1 (12.5 प्रतिशत) ने गांव छोड़कर रहना बताया। शेष 1 (12.5 प्रतिशत) ने बताया कि वह इस दुर्व्यवहार को बर्दाशत करता है। एक दम्पति से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला।

3.10.3 जिला हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पिती, शिमला व ऊना में ऐसा कोई भी दम्पति नहीं था जब कि जिला मण्डी में ऐसे दम्पति 5 में से 2 (40.0 प्रतिशत) थे।

11. **अनुसूचित जाति के सदस्य में हीन भावना :**

3.11.1 प्राय: ऐसा देखा जाता है कि एक स्वर्ण परिवार में यदि अनुसूचित जाति का सदस्य सम्मिलित होता है तो वह हीन भावना का शिकार होता है विशेष कर ऐसी परिस्थिति में जहां कि उसके साथ परिवार या अन्य वर्गों द्वारा उचित व्यवहार न होता हो। ऐसी स्थिति की संभावना को देखते हुए यह सूचना भी एकत्रित की गई कि क्या परिवार में अनुसूचित जाति का सदस्य किसी हीन भावना का शिकार है। इस सूचना का संकलन सारणी संख्या 12 में किया गया।

सारणी संख्या 12

अनुसूचित जाति के सदस्य जो हीन भावना के शिकार हैं:—

जिला	चयनित दम्पति संख्या	व्यक्ति संख्या जो हीन भावना के शिकार है	कालम (2) का कालम (3) पर %
1	2	3	4
1. बिलासपुर	14	—	0.0
2. चम्बा	13	2	15.4
3. हमीरपुर	4	—	0.0
4. कांगड़ा	5	—	0.0
5. किन्नौर	—	—	—
6. कुल्लू	3	—	0.0
7. लाहौल स्पीती	1	—	0.0
8. मण्डी	5	—	0.0
9. शिमला	10	—	0.0
10. सिरमौर	9	—	0.0
11. सोलन	7	—	0.0
12. ऊना	3	—	0.0
योग हि0 प्र0	74	2	2.7

3.11.2 उपरोक्त सारणी से जो तथ्य प्रकाश में आता है वह उत्साहवर्धक है तथा भविष्य में अधिक से अधिक अन्तर्जातीय विवाहों को सफल बनाने में सहायक है। सारे हिमाचल प्रदेश के 74 दम्पतियों में केवल 2 व्यक्ति (2.7 प्रतिशत) ऐसे पाय गए जो अनुसूचित जाति के परिवार के थे तथा विवाह क बाद हीन भावना के शिकार थ। यह दोनों ही व्यक्ति चम्बा जिले के थे । चम्बा जिले में कुल 13 व्यक्ति होने के कारण जिले का प्रतिशत 15.4. आता है । शेष सभी जिलों में यह सूचना शून्य 0.0 (प्रतिशत) थी ।

12. दम्पति की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन :

3.12.1 क्योंकि उस स्वर्ण व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति के परिवार में विवाह करता है सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप नगद धनराशि दी जाती है इस बात की पूरी संभावना हो जाती है कि विवाहोपरांत उनकी आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हो । यह धनराशि अब 5000 तथा 6000 रुपया प्रति दम्पति है वे इसका उपयोग किसी छोटे व्यापार व उद्योग में भी कर सकते हैं। इस बात की संभावना को देखते हुए प्रति व्यक्ति से यह सूचना एकत्रित की गई कि क्या विवाह के उपरांत उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है अथवा यह स्थिति में सामान्य (पहले जैसी) ही है अथवा उसमें कुछ गिरावट आई है । इसके साथ ही यह भी जानकारी प्राप्त की गई कि स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन आया है । संकलित सूचना सारणी संख्या 13 में दी गई है।

सारणी संख्या-13

विवाहोपरांत आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

जिला	चयनित दम्पति संख्या	सुधार हुआ	कोई परिवर्तन नहीं	गिरावट आई
1	2	3	4	5
1. बिलासपुर	14	2 (14.3)	11 (78.6)	1 (7.1)
2. चम्बा	13	10 (76.9)	2 (15.4)	1 (7.7)
3. हमीरपुर	4	3 (75.0)	— (0.0)	1 (25.0)
4. कांगड़ा	5	1 (20.0)	4 (80.0)	— 0.0
5. किन्नौर	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	1 (33.3)	2 (66.7)	— (0.0)
7. लाहौल स्पीती	1	— (0.0)	1 (100.0)	— (0.0)
8. मण्डी	5	2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)
9. शिमला	10	7 (70.0)	2 (20.0)	1 (10.0)

1	2	3	4	5
10. सिरमौर	9	8	1	—
		(88.9)	(11.1)	(0.0)
11. सोलन	7	1	3	3
		(14.3)	(42.8)	(42.9
12. ऊना	3	2	1	—
		(66.7)	(33.1)	(0.0)
योग हि0प्र0	74	37	28	9
		(50.0)	(37.8)	(12.2)

3.12.2 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से जो तथ्य प्रकाश में आते हैं उनसे ज्ञात होता है कि 74 में से 37 दम्पति (50.0 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में विवाहोपरांत पर्याप्त सुधार हुआ है तथा 28 (37.8) ऐसे हैं जिनकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा 9 (12.2 प्रतिशत) की हालत में गिरावट आई है। सारी स्थिति को देखते हुए स्थिति संतोषजनक है। जिलेवार स्थिति में असमानता है।

3.12.3 स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ इस बात का बहुत कम व्यक्तियों ने स्पष्ट उत्तर दिया। अधिकतर ने यह बताया कि प्रोत्साहन राशि को अपने सामान्य घरेलू खर्चों पर व्यय किया जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अच्छी है। कुछ व्यक्तियों ने यह बताया कि इस धनराशि से व्यापार किया जिससे परिवार की आय में वृद्धि हुई है। कुछ व्यक्तियों को विवाहोपरांत नौकरी मिली जिसके कारण उनकी स्थिति में सुधार हुआ।

3.12.4 जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई उनमें से कुछ ने बताया कि विवाह के पश्चात् उनकी नौकरी छूट गई व वे अब बेरोजगार होने के कारण पहले से खराब हालत में हैं अथवा उनका व्यापार ठीक नहीं चल सका इत्यादि।

3.12.5 प्राप्त सूचना का वर्गीकरण निम्नलिखित सूची में दिया जा रहा है :—

स्थिति में सुधार :

1. स्थिति में सुधार है (स्पष्टीकरण नहीं दिया)	23(62.2)
2. पैसा व्यापार में लगाया जिससे लाभ है	2(5.4)
3. पति/पत्नी दोनों रोजगार में है	3(8.1)
4. विवाहोपरांत नौकरी मिली	1(2.7)
5. जायदाद बनाई	1(2.7)
6. सूचना प्राप्त नहीं	7(18.9)
	37(100.0)

स्थिति में गिरावट :

1. व्यापार में लगाया जिससे लाभ नहीं हुआ	2(22.2)
2. बेरोजगार होने के कारण	2(22.2)

3. लगी हुई नौकरी कटने के कारण	2(22.2)
4. पति के देहांत के कारण	1(11.2)
5. सूचना प्राप्त नहीं	2(22.2)
	9(100.0)

3.12.6 उपरोक्त सूचना से कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता परन्तु प्रश्न पत्रों के अध्ययन तथा चयनित दम्पतियों द्वारा दिए गए विस्तृत ब्यौरे से ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए जहां कि व्यक्तिगत व सामाजिक विरोध के कारण किसी को या तो नौकरी छोड़नी पड़ी या उसके द्वारा स्थापित लघु व्यापार को सामाजिक वर्ग ने चलने नहीं दिया। इस बारे में कुछ व्यक्तियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं जिनका ब्यौरा इस अध्याय के अन्तिम भाग में दिया जा रहा है।

13. **क्या अपने बच्चों के अन्तर्जातीय विवाह करेंगे :**

3.13.1 सारी परिस्थितियों को देखते हुए विवाहित दम्पतियों के इस मामले में विचार पूछे गए कि अपने अन्तर्जातीय विवाह से संबंधित अभी तक की अपनी सामाजिक व पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या ये दम्पति अपने बच्चों के अन्तर्जातीय विवाह करना चाहेंगे। इसके उत्तर "हां" व "ना" में प्राप्त किए गए परन्तु कुछ व्यक्तियों ने कोई विचार न देते हुए उत्तर दिया कि "बच्चों की इच्छानुसार" यद्यपि इस उत्तर को बहुत हद तक "हां" में वर्गीकृत किया जा सकता है परन्तु इसको सारणी में एक प्रथम वर्ग में रखा गया।

3.13.2 प्राप्त सूचना का सारणीकरण सारणी संख्या 14 में दिया गया है।

सारणी संख्या-14

परिवार संख्या जो अपने बच्चों का अन्तर्जातीय विवाह करना चाहते हैं :

जिला	चयनित परिवार संख्या	हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं (बच्चों की इच्छानुसार)
1	2	3	4	5
1. बिलासपुर	14	13	—	1
2. चम्बा	13	9	2	2
3. हमीरपुर	4	3	—	1
4. कांगड़ा	5	5	—	—
5. किन्नौर	—	—	—	—
6. कुल्लू	3	3	—	—
7. लाहौल स्पिती	1	1	—	—
8. मण्डी	5	3	1	1
9. शिमला	10	10	—	—

1	2	3	4	5
10. सिरमौर	9	8	—	1
11. सोलन	7	7	—	—
12. ऊना	3	3	—	—
योग हि0 प्र0	74	65	3	6
कुल का प्रतिशत	100.0	87.8	4.1	8.1

14. **अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दम्पतियों के अनुभव, विचार व सुझाव इत्यादि :**

3.14.1 सभी सूचना को प्राप्त करने के उपरांत सभी विवाहित दम्पतियों से अन्तिम प्रश्न यह पुछा गया कि वे अपने अनुभवों के आधार पर अपने विचार व्यक्त करें तथा इस प्रकार के विवाहों के प्रति अपने विचार व्यक्त करें तथा सुझाव दें । इस बारे में यद्यपि सभी व्यक्तियों ने तो विचार व्यक्त नहीं किए परन्तु अधिकतर ने यह बताया कि उनका विवाहित जीवन सुखी है तथा परिवार के सदस्य व रिश्तेदारों ने उन्हें सामान्य रूप से स्वीकार किया है । इसके विपरित कुछ व्यक्तियों ने यह भी कहा कि उनके परिवार ने उनका बहिष्कार किया है तथा उन्हें अपनी सम्पति के अधिकारों से भी वंचित कर दिया है जिसके कारण उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है । एक दम्पति का यहां तक कहना था कि उन्हे झूठे आरोपों के कारण उसको नौकरी से हटा दिया गया है । उपरोक्त सभी बातों के अतिरिक्त जो अन्य विचार व्यक्त किए गए उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है:—

(1) छुआछूत की सामाजिक कुरीति का देश के सामाजिक व आर्थिक ढांचे पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है तथा इसे दूर करना अत्यन्त आवश्यक है । इसक लिए सरकार द्वारा चलाई गई प्रोत्साहन योजना सराहनीय है । इस योजना को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए ।

(2) ऊंच-नीच की भावना का दूर करना समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए समाज के संपन्न व शिक्षित वर्ग को आगे आना चाहिए तथा उसको इसका विरोध न करके इसके लिए अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए । इन वर्गों को चाहिए कि न केवल वे स्वयं अन्तर्जातीय विवाह के लिए अग्रिम हों बल्कि अन्य वर्गों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें ।

(3) कई मामलों में ऐसा देखने में आया कि विवाह के पश्चात् परिवार व रिश्तेदारों ने उनका विरोध किया तथा दम्पति को परिवार से बहिष्कृत किया । इस प्रकार क लोगों के विचार थ कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसके आधार पर परिवार से बहिष्कार किया जाना गैर कानूनी हो तथा ऐसा करन वालों को उचित सजा मिल सक । इसगे अलावा अन्तर्जातीय परिवार में विवाहित व्यक्ति के लिए पारिवारिक सम्पति का अपना भाग सुरक्षित रहना चाहिए तथा उन्हें सम्पति से बेदखल नहीं किया जाए । ऐसे मामल प्रकाश में आए जहां कि दम्पति को परिवार से बहिष्कृत किया गया व उसको सम्पति के अधिकार नहीं दिए गए ।

(4) अन्तर्जातीय विवाहित दम्पतियों को पुरस्कार स्वरूप केवल नगद धनराशि देना पर्याप्त नहीं है इन्हें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को

ऐसे पग भी उठाने चाहिए ताकि वे अपना निजी कारोबार स्थापित कर सकें/ जैसे कारोबार चलाने के लिए आर्थिक सहायता तथा तकनीकी प्रशिक्षण व अवश्यक मार्ग दर्शन इत्यादि।

(5) कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें परिवार से बहिष्कृत किया गया है तथा इसके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्ति जिनके पास अपनी कोई भूमि या संपति नहीं है उन्होंने यह विचार व्यक्त किए कि परिवार को एक स्थायी जीवनायापन के लिए जैसे अन्य भूमिहीनों को भूमि वितरित की जाती है उन्हें भी अपनी आवश्यकता-नुसार भूमि मिलनी चाहिए ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें।

(6) भूमि के अतिरिक्त निजी मकान बनाने के लिए जो भी सम्भव सहायता सरकार दे सकती है वह इन परिवारों को भी प्राथमिकता क आधार पर मिलनी चाहिए। ताकि वे समाज में अपना बराबरी का स्तर बनाने में समर्थ हो।

(7) अन्तर्जातीय विवाहित दम्पतियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण अथवा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह पति अथवा पत्नी में से किसी एक को मिल सकती है।

(8) पुरस्कार की राशि कम है इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

(9) कई व्यक्ति अन्तर्जातीय विवाह करना चाहते हैं। परन्तु केवल सामाजिक व पारिवारिक विरोध के कारण नहीं कर सकते हैं। इनके लिए कानूनी प्रतिरक्षण होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने का उचित प्रबन्ध भी होना चाहिए।

(10) समाज व परिवार द्वारा किये जाने वाले दुर्व्यवहार के प्रति आवश्यक है कि इस प्रकार के दुर्व्यवहार क विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना व संबंधित व्यक्ति क विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कानून में उकित प्रावधान होना चाहिए।

(11) अन्तर्जातीय विवाहित दम्पतियों में कुछ को चुनकर दूरदर्शन वार्ता व साक्षात्कार क लिए बुलाया जाना चाहिए ताकि समाज के विभिन्न व्यक्ति इससे प्रभावित व प्रोत्साहित हो सकें।

(12) अन्तर्जातीय विवाहों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए क्योंकि यह एक बड़ी सामाजिक कुरीति को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है। यह न केवल सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि देश के आर्थिक स्तर को भी ऊंचा उठाने में भी प्रभावशाली है।

(13) अन्तर्जातीय विवाह को परिवार व समाज कुछ दिन तक मान्यता नहीं देता परन्तु कुछ दिन के बाद स्थिति प्रायः सामान्य हो जाती है। इस दृष्टि से समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि वे किसी हीन भावना का शिकार न होकर समाज सुधार की दृष्टि से अधिक से अधिक अन्तर्जातीय विवाह करें।

(14) अन्तर्जातीय विवाह का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि यह दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने में सहायक है।

(15) अन्तर्जातीय विवाह देश व समाज की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है तथा इसको हर प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

(16) अनुसूचित जाति वर्ग के मन से हीन भावना को समाप्त करने के यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्वर्ण जाति के अधिक से अधिक व्यक्ति अन्तर्जातीय विवाह के लिए अग्रिम हों।

(17) अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को एक विशेष योजना बनानी चाहिए।

(18) अन्तर्जातीय विवाह के माध्यम से सभी धर्म व समाजों के व्यक्ति एक दूसरे के समीप आ सकते हैं क्योंकि इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है।

अध्याय-4
सर्वेक्षण का सारांश व सिफारिशें

4.1 सारांश :

(1) विवाहित दम्पतियों में स्वर्ण जाति के पुरुषों की संख्या स्वर्ण स्त्रियों से तीन गुना से भी अधिक है स्वर्ण पुरुष व अनुसूचित जाति की स्त्री का प्रतिशत कुल दम्पतियों का 75.7 % है जिससे स्पष्ट है कि स्वर्ण जाति का पुरुष वर्ग अन्तर्जातीय विवाह के मामले में स्त्री वर्ग की अपेक्षा अग्रिम है ।

(2) परिवार के आकार का औसत 5 व्यक्ति प्रति परिवार आता है । जिलावार औसत में काफी विषमता है तथा इसका अन्तर 2 से 8 व्यक्ति प्रति परिवार आता है ।

(3) अन्तर्जातीय विवाह की इच्छा (प्रेरणा) के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अधिकतर व्यक्तियों ने यह विवाह स्वेच्छा से किया 174 में 60 व्यक्तियों (81.1 प्रतिशत) ने स्वेच्छा से तथा 12 (16.2 प्रतिशत) ने अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा से यह विवाह किए 2 व्यक्तियों (2.7 प्रतिशत) से कारण विशेष की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी ।

(4) अन्तर्जातीय विवाह के कारणों में मुख्य कारण पारस्परिक प्रेम 51 व्यक्ति (68.9 प्रतिशत), आर्थिक कारण 2 व्यक्ति (2.7 प्रतिशत) तथा सामाजिक सुधार की दृष्टि से 19 व्यक्ति (25.7 प्रतिशत) थे । इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य कारण किसी ने नहीं बताया ।

(5) वैवाहिक पद्धति में आधे से अधिक विवाह धर्म व समाज की पद्धति के अनुसार हुए । 74 में से 40 दम्पतियों के (54.1 प्रतिशत) के विवाह पद्धति के अनुसार हुए तथा शेष के अन्य तरीकों से हुए ।

(6) जो 34 विवाह (45.8 प्रतिशत) पद्धति के अनुसार नहीं हुए उनमें से 22 (29.7 प्रतिशत) कचहरी में 5 (6.8 प्रतिशत) मन्दिर में तथा शेष 7 (9.4 प्रतिशत) अन्य तरीकों से किए गए । अन्य तरीकों से किए गए विवाहों में कुछ ने स्पष्ट सूचना नहीं दी तथा शेष पंचायत व पुलिस स्टेशन में बताए गए ।

(7) विवाह में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति से संबंधित सूचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रायः आधे से अधिक विवाहों में उपस्थिती (सामान्य रही) वगवार ब्यौरे को देखते हुए "माता-पिता व अभिभावक" वर्ग की उपस्थिति 50.0 प्रतिशत "भाई व बहिन" वर्ग की उपस्थिति 51.4 प्रतिशत "अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति 52.7 प्रतिशत 'मित्र व पड़ौसी' की उपस्थिति 56.8 प्रतिशत तथा 'अन्य ग्रामवासियों' की उपस्थिति 48.6 प्रतिशत विवाहों में सामान्य रही । सामान्य से कम उपस्थिति बहुत कम विवाहों में थी जिनके प्रतिशत 1.4 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत के अन्तर में आते हैं । विभिन्न वर्गों की शून्य उपस्थिति के प्रकरण 33.8 प्रतिशत से 48.6 प्रतिशत के अन्तर में आते हैं । इस प्रकार उपस्थिति के अनुसार स्थिति पर्याप्त संतोषजनक है ।

(8) जिन विवाहों में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति सामान्य से कम अथवा शून्य थी उनके कारणों में कुल 52 कारण प्राप्त हुए । यह कारण "अन्तर्जातीय विवाह का विरोध" 6 (11.5 प्रतिशत), "अनुसूचित जाति के प्रति घृणा" 12 (23.1 प्रतिशत) "सामाजिक विरोध" 12 (23.1 प्रतिशत), लोक लाज का भय, 12 (23.1 प्रतिशत) तथा अन्य 10 (19.1 प्रतिशत) थे ।

(9) विवाह के उपरांत परिवार ने इन दम्पतियों को स्वीकार किया या नहीं इस बारे में प्राप्त सूचना संतोषजनक है क्योंकि 74 में से 52 (70.3 प्रतिशत) दम्पतियों को उनके परिवारों द्वारा स्वीकार किया गया।

(10) जिन 22 दम्पतियों (29.7 प्रतिशत) को स्वीकार नहीं किया गया उनको स्वीकार न करने के 37 कारण प्राप्त हुए। कारणों के वर्गीकरण के अनुसार 6 कारण (16.2 प्रतिशत) स्वयं का विरोध 14 (37.9 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के प्रति घृणा 5 (13.5) प्रतिशत सामाजिक विरोध 9 (24.3 प्रतिशत) लोक लाज का भय तथा 3 (8.1 प्रतिशत) अन्य कारण थे।

(11) विवाहित दम्पति के प्रति विभिन्न वर्गों के व्यवहार पर एकत्रित सूचना का परिणाम भी संपोषजनक है क्योंकि सभी वर्गों द्वारा सामान्य व्यवहार में अधिकतर दम्पति आते हैं। "भाई बहिन" द्वारा सामान्य व्यवहार में 54 (73.0 प्रतिशत), "अन्य रिश्तेदारों" में 52 (70.3 प्रतिशत), "मित्र व पड़ौसी" वर्ग में 59 (79.7 प्रतिशत) तथा "अन्य ग्रामवासी" में 56 (75.6 प्रतिशत) दम्पति आते हैं।

(12) विभिन्न वर्गों द्वारा "सामान्य से कम" अथवा "दुर्व्यवहार" की संख्या में 7 (9.5 प्रतिशत) से 12 (16.2 प्रतिशत) तक दम्पति आते हैं जो कि काफी कम है।

(13) स्वर्ण परिवार में अनुसूचित जाति के सदस्य से दुर्व्यवहार के 74 में से केवल 8 (10.8 प्रतिशत) प्रकरण हैं।

(14) यह 8 दम्पति दुर्व्यवहार का मुकाबिला कैसे करते हैं। इनमें एक ने गांव छोड़ दिया है, 3 परिवार से अलग रहते हैं; 2 ससुराल में रहते हैं; बर्दाशत करते हैं तथा अन्य एक ने सूचना नहीं दी है।

(15) 74 में से केवल 2 दम्पति (2.7 प्रतिशत) ऐसे पाये गए जो यह मानते हैं कि वे हीन भावना के शिकार हैं।

(16) 74 में से 37 दम्पति (50.0 प्रतिशत) ने यह बताया कि विवाह के उपरांत उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, 28 (37.8 प्रतिशत) ने बताया कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा 9 (12.2 प्रतिशत) ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है।

(17) ऐसे 37 दम्पति जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ उनमें केवल 7 ने यह सूचना दी कि सुधार किस प्रकार से हुआ। इन सात में 2 ने "व्यापार में पैसा लगाया जिसमें लाभ है", को "विवाहोपरान्त नौकरी मिली"। 3 "पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं" तथा 1 ने "जायदाद बनाई" यह उत्तर दिए। अन्य 23 ने स्पष्ट नहीं किया तथा 7 ने कोई सूचना नहीं दी

(18) जिन 9 दम्पतियों के आर्थिक स्तर में गिरावट आई उनमें से प्रत्येक 2,2 ने बताया कि (1) व्यापार में पैसा लगाया जिसमें नुकसान हुआ, (2) बेरोजगार होने के कारण तथा (3) लगी हुई नौकरी छूटने के कारण। अन्य 2 ने कोई सूचना नहीं दी।

(19) जिस एक व्यक्ति ने नौकरी छूटने का कारण बताया उसके अनुसार उसकी नौकरी सामाजिक विरोध व झूठे आरोपों के द्वारा छूटी है।

(20) सारी स्थिति को देखते हुए क्या ये दम्पति अपने बच्चों के अन्तर्जातीय विवाह करना चाहेंगे इसके उत्तर में 65 (87.8 प्रतिशत) ने स्पष्ट उत्तर "हां" में दिया तथा 6 (8.1 प्रतिशत) ने बच्चों की इच्छानुसार "कहा जिसे परोक्ष रूप में हां माना जा सकता है तथा 3 (4.1 प्रतिशत) ने स्पष्ट नहीं में उत्तर दिया ।

(21) अध्याय-2 के पैरा 14 ने सब-पैरा (1) से (17) तक विवाहित दम्पतियों के अनुभव विचार व सुझाव के आधार पर जो स्थिति स्पष्ट होती है वह हर प्रकार संतोषजनक है । अधिकतर परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिनमें से कुछ इस रिपोर्ट के अगले प्रभाग "सिफारिशों" में प्रकट किए जा रहे हैं ।

4.2 सिफारिशें :

सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने व सफल बनाने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाती है :—

(1) छूआछूत की सामाजिक कुरीति का उन्मूलन अत्यन्त आवश्यक है । अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना इसका एक आवश्यक अंग है इसके अधिक से अधिक प्रसार के लिए सरकार के सभी विभागों विशेषत: लोक सम्पर्क विभाग को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए।

(2) समाज के संपन्न व शिक्षित वर्ग में अभी तक अंतर्जातीय विवाह के प्रति जागृति नहीं है । इस वर्ग में यह भावना जागृत करने के लिए किसी ऐसी योजना का कार्यान्वयन करना चाहिए जिसके द्वारा यह वर्ग इस ओर आकृष्ट हों ।

(3) परिवार अथवा समाज द्वारा अन्तर्जातीय दम्पतियों के बहिष्कार व दुर्व्यवहार के विरुद्ध सरकार को उचित कानून बनाना चाहिए । ताकि ऐसे दम्पति अपने आपको सुरक्षित महसूस करें । ऐसे कानून में यह प्रावधान भी आवश्यक है कि अन्तर्जातीय विवाहित दम्पतियों के पारिवारिक संपति में आधिग्रहण के अधिकार सुरक्षित हैं । पारिवारिक संपति में भूमि व मकान के अधिकार भी सुरक्षित रहे ।

(4) जिस प्रकार अन्य भूमिहीनों को सरकार द्वारा भूमिका वितरण किया जाता है उसी प्रकार अन्तर्जातीय विवाहित दम्पतियों में ऐसे दम्पतियों को जिनकी आय का कोई अन्य साधन न हो उन्हें न्यूनतम सीमा में भूमि का आवंटन होना चाहिए ।

(5) भूमि के अतिरिक्त निजी मकान बनवाने के लिए भी ऐसे विवाहित दम्पतियों को जिनके पास निजी मकान न हों या तो इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए या फिर कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान किये जायें ।

(6) कुछ दम्पतियों की मांग थी कि जैसे अनुसूचित जाति के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण होता है उसी प्रकार अनुसूचित जाति में विवाह करने वाले स्वर्ण व्यक्ति को भी होना चाहिए । इस बात पर विचार किया जा सकता है।

(7) उपरोक्त सिफारिश संख्या (6) के अनुरूप यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि विवाहित दम्पति में किसी एक को सरकारी सेवा में कुछ प्राथमिकता दी जाए ।

(8) पुरस्कार की राशि को यथोचित बढ़ाने के बारे में सरकार विचार कर सकती है क्योंकि यह राशि कम जान पड़ती है । यह भी हो सकता है कि पुरस्कार की राशि नगद रूप से न देकर वस्तुरूप में दी जाए जिस प्रकार कि आई.आर.डी.पी. कार्यक्रम में दी जाती है ताकि दम्पति का अपना जीवन यापन करने को नियमित आधार बन सके ।

(9) जो व्यक्ति अन्तर्जातीय विवाह करना चाहते हैं परन्तु सामाजिक व पारिवारिक विरोध के कारण नहीं कर सकते उनकी प्रतिरक्षा के लिए भी कानून में उचित प्रावधान का होना आवश्यक है।

(10) विवाहित दम्पतियों में एक का यह सुझाव सराहनीय है कि उसे दूरदर्शन पर वार्ता के लिए बुलाया जाए । ऐसे कुछ व्यक्तियों की दूरदर्शन पर वार्ता का आयोजन किया जाए तो इससे सामाजिक चेतना को अवश्य बढ़ावा मिल सकता है तथा युवा वर्ग अन्तर्जातीय विवाह के प्रति जागृत हो सकता है ।

(11) अन्तर्जातीय विवाहों के प्रोत्साहन के लिए सरकार सभी सिफारिशों के आधार पर एक योजना का गठन करें ।

अनुलग्नक-I

हिमाचल प्रदेश में अन्तर्जातीय विवाह के लिए पुरस्कार योजना का मूल्यांकन सर्वेक्षण
पुरस्कृत व्यक्तियों की सूची

जिला .....

क्रमांक	पुरस्कृत व्यक्ति का नाम	पूरा पता	जाति विवाह से पूर्व की		विवाह का वर्ष	पुरस्कार की राशि	अभियुक्ति
			पुरुष	स्त्री			
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुलग्नक-II

हिमाचल प्रदेश में अन्तर्जातीय विवाह के लिए पुरस्कार योजना का मूल्यांकन सर्वेक्षण

पारिवारिक प्रपत्र

1. पुरस्कृत व्यक्ति का नाम .....
2. व्यक्ति का पता : ग्राम/नगर/मोहल्ला .....
   डाकखाना .....
   पंचायत .....
   तहसील .....
   जिला .....
3. जाति (विवाह से पहले) पति .....
   पत्नी .....

4. विवाह की तारीख .....

5. परिवार का आकार :

व्यस्क पुरुष .....
व्यस्क स्त्री .....
बच्चे (3 वर्ष से 14 वर्ष तक) .....
शिशु (3 वर्ष से कम) .....

योग _____

6. क्या यह विवाह आपने स्वंय की इच्छा से किया या माता पिता व अन्य बड़ों की इच्छा से किया गया (कृपया चिन्ह दे)।

स्वयं की इच्छानुसार	
घर के अन्य व्यक्तियों की इच्छानुसार	

7. अन्तर्जातीय विवाह करने का कारण (स्पष्ट करें)

पारस्परिक प्रेम	
आर्थिक कारण	
सामाजिक सुधार	
अन्य (स्पष्ट करें)	

8. क्या विवाह आपके धर्म।जाति।समाज की पद्धति के अनुसार हुआ ।

हां		नहीं	

9. यदि "नहीं" तो विवाह किस प्रकार हुआ

कचहरी में	
मन्दिर में	
अन्य तरीक से स्पष्ट करें	

10. विवाह में सम्मिलित व्यक्तियों की उपस्थिति कैसी थी।

वर्ग	सामान्य	सामान्य से कम	बिल्कुल नहीं
माता पिता/अभिभावक			
भाई/बहिन			
अन्य रिश्तेदार			
मित्र व पड़ौसी			
अन्य ग्रामवासी			

11. यदि किसी भी वर्ग की उपस्थिति सामान्य से कम थी या बिल्कुल नहीं थी तो इसके कारण (एक से अधिक कारण भी दिए जा सकते है)

अन्तर्जातीय विवाह के प्रति स्वयं का विरोध	
अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रति घृणा	
सामाजिक विरोध	
लोक लाज का भय	
अन्य (स्पष्ट रूप से)	

12. क्या विवाह के बाद आपके परिवार ने आपको सामान्य रूप से स्वीकार किया ।

हां ____ नहीं ____

13. यदि "नहीं" तो इसका क्या कारण है।

अन्तर्जातीय विवाह के प्रति स्वयं का विरोध	
अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति घृणा	
सामाजिक विरोध	
लोक लाज का भय	
अन्य स्पष्ट रूप से	

14. विवाह के बाद माता/पिता के अतिरिक्त अन्य वर्गों का व्यवहार।

वर्ग	सामान्य	सामान्य से कम	दुर्व्यवहार
भाई/बहन			
अन्य रिश्तेदार			
मित्र व पड़ौसी			
अन्य ग्रामवासी			

15. क्या आपके अनुसूचित वर्ग के जीवन साथी के साथ घर के सदस्य किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं।

हां ☐ नहीं ☐

16. यदि "हां" तो आप इस कुरीति का मुकाबिला किस प्रकार करते हैं। (स्पष्ट रूप से वर्णित करें)।

17. क्या आप या आपका जीवन साथी विवाह के बाद किसी हीन भावना का शिकार है।

हां ☐ नहीं ☐

18. विवाह के बाद आपके आर्थिक स्तर में क्या परिवर्तन आया।

सुधार हुआ ☐

☐

सामान्य है ☐

☐

गिरावट आई ☐

19. उपरोक्त प्रश्न 18 में जो भी स्थिति हो उसका कारण स्पष्ट दें तथा यह भी स्पष्टीकरण दें कि किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है।

20. उपरोक्त सभी स्थिति को देखते हुए बतायें कि क्या भविष्य में आप अपने बच्चों का अन्तर्जातीय विवाह करना चाहेंगे?

हां ☐ नहीं ☐

21. समाज सुधार की दृष्टि से आप इन प्रश्न व उत्तरों के अतिरिक्त क्या कहना चाहते हैं। (संक्षिप्त विवरण दें)।

उत्तरवादी के हस्ताक्षर

नाम .....

दिनांक .....

अन्वेषक के हस्ताक्षर

नाम .....

प्रपत्र भरने की तिथि .....

निरीक्षक के हस्ताक्षर

नाम .....

दिनांक .....

रिमार्क :—

राजकीय मुद्रणालय, हि0प्र0, शिमला—509—पलानिंग/88—17-6-89—600।